मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 19.12.2025 को आयोजित 192वीं बैठक का कार्यवृत्त

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 192 वीं बैठक महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार) को मुख्यालय में आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ मे बीमा आयुक्त महोदय ने सर्वप्रथम महानिदेशक महोदय का स्वागत किया और सदस्य सचिव से अनुरोध किया कि वह विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करें। इसके अनुपालन में सदस्य सचिव ने बैठक के औचित्य , निर्णय, अनुवर्ती कार्रवाई आदि के संबंध में जानकारी दी।

सदस्य-सचिव ने महानिदेशक महोदय का स्वागत करने के साथ-साथ सभी बीमा आयुक्त , चिकित्सा आयुक्त और वहां उपस्थित सभी अधिकारियों का भी अभिवादन किया तथा बैठक की कार्यवाही आरंभ की।

इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बैठक में मदों पर निम्नानुसार बिन्दुवार चर्चा की गई।

मद संख्या 1	**विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 191 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा बैठक में हुए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा।**

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि पिछली (191 वीं) बैठक दिनांक 23.09.2025 को आयोजित की गई थी। सभी सदस्यों एवं शाखाओं को बैठक का कार्यवृत्त समय रहते परिचालित कर दिया गया था। बैठक में कार्यवृत्त के आधार पर किए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में चर्चा करते हुए सदस्य सचिव ने बताया कि जो कार्रवाई राजभाषा शाखा के स्तर पर अपेक्षित थी, वह कर दी गई है। साथ ही पिछली बैठक में महानिदेशक महोदय के निदेशानुसार इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों/अधिकारियों को हिंदी की पुस्तक **'समता और सम्पन्नता'** की प्रति वितरित की गई।

तदुपरांत तत्संबंध में आपत्ति/सुझाव के लिए अनुरोध किया गया। किसी भी सदस्य की ओर से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि के लिए निवेदन किया गया।

सर्वसम्मति से, अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरांत कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2	**दिनांक 30.09.2025 को समाप्त अवधि की हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।**

सदस्य-सचिव ने शाखावार बार चार्ट के माध्यम से आंकड़े प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया कि जिन शाखाओं का पिछली तिमाही की तुलना में पत्राचार प्रतिशत कम रहा वे लक्ष्यानुसार पत्राचार करें। इस दौरान **'क'**, **'ख'** तथा **"ग"** के साथ अलग-अलग बार चार्ट के माध्यम से पत्राचार में प्राप्त प्रतिशत और कमी, आदि पर चर्चा की गई।

जिन शाखाओं का पत्राचार प्रतिशत लक्ष्य से कम था , उनके लिए अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि वे अपने कार्य में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाएं और मूल पत्राचार में लक्ष्य प्राप्त करें। सदस्य-सचिव ने कहा कि संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के समय बीमा आयुक्त महोदय को उपस्थित होना होता है, अतः राजभाषा से संबंधित दिशा-निर्देशों का गम्भीरता से पालन किया जाए।

सदस्य-सचिव ने बताया कि सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान मुख्यालय द्वारा **'क'** क्षेत्र के साथ 97.51%, **'ख'** क्षेत्र के साथ 96.75% और **'ग'** क्षेत्र के साथ 96.66% पत्राचार हिंदी में किया गया। यद्यपि **'ग'** क्षेत्र के साथ लक्ष्यानुरूप पत्राचार किया गया तथापि यह नोट किया गया कि **'क'** एवं **'ख'** क्षेत्र के साथ पत्राचार 100% के निकट है, परंतु शत-प्रतिशत नहीं है और अवगत कराया गया कि इसे 100 % प्राप्त किया जाना है। अध्यक्ष महोदय ने इन शाखाओं को पत्राचार के लक्ष्य को सुधारने के निदेश दिए। इस संबंध में सदस्य-

सचिव ने भी कहा कि आवश्यकता होने पर राजभाषा शाखा की सहायता ली जाए, परंतु मूल पत्राचार हिंदी में ही किया जाए। पत्रों का अनुवाद हिंदी में करवाने की अपेक्षा शाखाएं स्वयं पत्र का प्रारूप हिंदी में बनाएं। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी व अधिकारी अपना 100 प्रतिशत कार्य हिंदी में ही करें।

मद संख्या 3 फाइलों पर टिप्पणियां।

चर्चा में बताया गया कि मुख्यालय में आलोच्य तिमाही के दौरान फाइलों पर कुल 34311 टिप्पणियों में से 27869 टिप्पणी हिंदी में लिखी गई। इस प्रकार हिंदी टिप्पण 82% रहा। सदस्य-सचिव ने बताया कि यद्यपि इस अवधि में हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, तथापि हमें इसे आगे और बढ़ाना है और इसे बनाए रखने के प्रति विशेष जागरूक रहना है। उन्होंने अवगत कराया कि संपूर्ण कार्य ई-ऑफिस में किया जा रहा है, इसके लिए हिंदी टंकण संबंधी टूल्स की जानकारी आवश्यक हो गई है। इसके साथ ही टिप्पणी लिखते समय ई-ऑफिस में अनुवाद की सुविधा के संबंध में अवगत कराया गया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी को निदेश दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी फाइलों में अधिकाधिक टिप्पणियां हिंदी में लिखें।

[कार्रवाई- मुख्यालय के संबंधित कार्मिक]

मद संख्या 4 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन।

सदस्य-सचिव ने सदस्यों से धारा 3(3) के विषय में जानना चाहा। कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने इस संबंध में जानकारी साझा की। समिति को बताया गया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में सामान्य आदेश, अनुदेश, परिपत्र, ज्ञापन आदि के अलावा अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर फार्म, नोटिस, संकल्प, नियम, संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात, प्रशासनिक रिपोर्टें आदि सम्मिलित हैं। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों की सूची पीपीटी के माध्यम से सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई। यह भी अवगत कराया गया कि इस धारा के अंतर्गत सभी दस्तावेजों को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में सदस्य-सचिव ने बताया कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मुख्यालय में आलोच्य तिमाही के दौरान धारा 3(3) के अंतर्गत सभी 539 कागजात द्विभाषी में जारी किए गए। सदस्य-सचिव ने सभी अधिकारियों से अनुरोध किया की धारा 3(3) का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित करें।

[कार्रवाई- मुख्यालय की संबंधित शाखाएं]

मद संख्या 5 वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में चर्चा।

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि राजभाषा विभाग , गृह मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए अप्रैल माह से लागू एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम दिनांक 29 अप्रैल, 2025 को बीमा आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर से सभी निगम कार्यालयों के लिए जारी किया गया है। भाषाई आधार पर पत्राचार के लक्ष्य **क, ख, और ग** क्षेत्र के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक है। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी से अनुरोध किया गया। इस वर्ष राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में कुछ बढ़ोतरी की गई है।

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि निगम मुख्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हमारा मूल हिंदी पत्राचार का लक्ष्य **'क'** और **'ख'** क्षेत्र के साथ 100% तथा **'ग'** क्षेत्र के साथ 70% है।

अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखाओं को निदेशित किया कि वार्षिक कार्यक्रम से संबंधित मदों/लक्ष्यों पर अनुपालन करें।

[कार्रवाई- मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 6	**निर्धारित जांच-बिंदुओं पर चर्चा।**

बैठक में जांच बिंदुओं की सूची प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित की गई। सदस्य-सचिव ने जांच बिंदुओं को सभी सदस्यों के समक्ष पढ़ा तथा विस्तार से प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की। सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यालयों में जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यालय में जांच बिंदु माह अप्रैल 2025 को परिचालित किए गए थे। सदस्य-सचिव ने सभी सदस्यों से जांच बिंदु के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी जांच बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए सभी को अनुपालन करने के निदेश दिए।

[कार्रवाई- मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 7	**राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 का अनुपालन।**

सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं। इस संबंध में उन्होंने राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के विषय में अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों से नियम-5 का अनुपालन गंभीरता से करने का निदेश दिया। अवगत कराया गया कि आलोच्य तिमाही के दौरान नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में कुल 10935 पत्र प्राप्त हुए और उनमें से 7827 पत्रों के उत्तर हिंदी में भेजे गए जबकि 3108 पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। इस प्रकार, नियम 5 का उल्लंघन नहीं किया गया।

[कार्रवाई- नियम-5 मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 8	**राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 3 का अनुपालन।**

सदस्य-सचिव ने राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 3 पर चर्चा की। सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि **मुख्यालय** में **'क'** और **'ख'** क्षेत्र से प्राप्त कुल 7163 पत्रों में से 5050 पत्रों के उत्तर हिंदी में और 69 पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए, जबकि 2044 पत्रों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे।

शाखावार आंकड़े प्रस्तुत करते हुए नियम 3 के अनुपालन के प्रति सजग रहने के लिए आग्रह किया गया। यह भी अनुरोध किया गया कि 'क' और 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में ही दिया जाए।

इस संबंध में जिन शाखाओं द्वारा अनुपालन पूर्ण करने में कमी रह गई, उनके लिए अध्यक्ष महोदय ने विशेष सजग रहने के निदेश दिए।

[कार्रवाई- नियम-3 – मुख्यालय की संबंधित शाखाएं]

मद संख्या 9	**प्रशिक्षण कार्यक्रम पर चर्चा।**

सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यथापेक्षित हिंदी भाषा, आशुलिपि, टकंण प्रशिक्षण अनिवार्य है और इसका लक्ष्य शीघ्र पूर्ण किया जाना है। मुख्यालय के कार्मिकों को भी यथापेक्षित प्रशिक्षण दिलाए जाने हैं।

सदस्य सचिव ने हिंदी टकंण प्रशिक्षण हेतु नामित कार्मिकों को नियमित रूप से भेजने के लिए सभी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुपालन का अनुरोध किया गया।

सदस्य सचिव ने यह भी कहा की मुख्यालय की सभी शाखाएं राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। अतः सभी शाखाएं अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करना सुनिश्चित करें।

मद संख्या 10	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

- सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अवगत कराया कि शाखाओं द्वारा हिंदी रिपोर्ट समय से तैयार करने एवं राजभाषा हिंदी में कामकाज बढ़ाने के लिए स्वयं शाखाधिकारी को ध्यान देना होगा।
- अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखाओं से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वेबसाइट पर जारी होने वाले दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी हों।
- तत्काल अनुवाद कार्य के प्रयोजन से मुख्यालय में तैनात अनुवाद अधिकारियों को लेपटॉप की आपूर्ति के संबंध में यथानिदेशित कार्रवाई की जाए।
- अध्यक्ष महोदय ने समिति सदस्यों को वितरित पुस्तक 'समता और संपन्नता' की महत्ता बताते हुए कहा कि यह पुस्तक समता के दर्शन और सामाजिक-आर्थिक संपन्नता के आपसी संबंधों पर केंद्रित है। पुस्तकों पर आगे चर्चा करते हुए उन्होंने निगम के सहायक अभियंता श्री कैशाम रॉबर्ट ब्रूस द्वारा लिखित पुस्तक 'दि बैलेन्स्ड लाइफ कोड' को पढने का आग्रह किया, जिसमें किसी कार्मिक के लिए अपने स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर, मानसिकता और लक्ष्य के बीच सामंजस्य स्थापित करने के बारे में लिखा गया है। इसके बाद महानिदेशक महोदय ने भारत की भाषाओं की समृद्धि पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें क्षेत्रीय भाषाएं भी सीखनी चाहिए। इससे हमें भाषाओं के अंतर-संबंध की जानकारी मिलने के साथ-साथ उनकी संस्कृति और साहित्य का भी बोध होता है। समिति के अन्य सदस्यों ने भी मराठी, कन्नड़, तेलुगु, आदि भाषाओं की महिमा पर प्रकाश डालते हुए अपने व्यापक अनुभव साझा किए।

विराकास की 192वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निदेश, किए गए निर्णय तथा अपेक्षित कार्रवाइयां

	निर्णय	अपेक्षित कार्रवाइयां
i.	मूल पत्राचार हिंदी में किया जाए तथा लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।	**मुख्यालय की सभी शाखाएं तथा निगम इकाइयां**
ii.	प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी समस्त कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें।	**मुख्यालय की सभी शाखाएं तथा निगम इकाइयां**
iii.	अनुवाद की अपेक्षा मूल रूप से हिंदी में ही कार्य किया जाए।	**मुख्यालय की सभी शाखाएं तथा निगम इकाइयां**
iv.	'क' क्षेत्र में 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिंदी में ही दिए जाएं।	**मुख्यालय की सभी शाखाएं**
v.	वेबसाइट पर जारी होने वाले दस्तावेज आवश्यक रूप से द्विभाषी में जारी हों।	**मुख्यालय की सभी शाखाएं**
vi.	अनुवाद अधिकारियों को लेपटॉप उपलब्ध कराए जाएं।	**सामान्य तथा सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी शाखा, मुख्यालय**

अंत में महानिदेशक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

Digitally signed by
Sham Sunder Kathuria
Date: 05-01-2026
14:39:45

(श्याम सुंदर कथूरिया)
सदस्य-सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 19.12.2025 की 192वीं बैठक में उपस्थित अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सूची।

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम एवं पदनाम सर्वश्री/सुश्री**	**पदनाम**	
1.	अशोक कुमार सिंह	महानिदेशक	अध्यक्ष
2.	रत्नेश कुमार गौतम	बीमा आयुक्त (रा.भा)	सदस्य
3.	दीपक जोशी	बीमा आयुक्त	सदस्य
4.	अनिल कुमार साहू	बीमा आयुक्त	सदस्य
5.	डॉ. गुंजन गुप्ता	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
6.	डॉ. सपना मित्तल	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
7.	डॉ. भैरवी देशमुख	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
8.	डॉ. सुपर्णा पोपली	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
9.	डॉ. अनुपम मुरमू	विशेष कार्य अधिकारी	सदस्य
10.	परीक्षित सिंह	निदेशक	सदस्य
11.	जय प्रकाश शर्मा	संयुक्त निदेशक	सदस्य
12.	निशांत कुमार	संयुक्त निदेशक	सदस्य
13.	रूपा बैनर्जी	संयुक्त निदेशक	सदस्य
14.	गिरीश कुमार केन	संयुक्त निदेशक	सदस्य
15.	टी.के. चौधरी	संयुक्त निदेशक	सदस्य
16.	दिग्विजय प्रसाद सिन्हा	संयुक्त निदेशक	सदस्य
17.	शैलेंद्र कुमार मिश्र	उप निदेशक	सदस्य
18.	अतुल कुमार गुरसरैया	उप निदेशक	सदस्य
19.	शोभित सिंह गबर्याल	उप निदेशक	सदस्य
20.	दिव्या यादव	उप निदेशक	सदस्य
21.	गुरजिंदर सिंह	उप निदेशक	सदस्य
22.	अक्षय गुप्ता	उप निदेशक	सदस्य
23.	नरेन्द्र यादव	उप निदेशक	सदस्य
24.	श्रेयस सिंह	उप निदेशक	सदस्य
25.	त्रिरत्न	उप निदेशक (राजभाषा)	सदस्य
26.	मनोज कुमार यादव	सहायक निदेशक	सदस्य
27.	रोजलीन हेमरोम	सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य
28.	श्याम सुंदर कथूरिया	निदेशक (राजभाषा)	सदस्य सचिव

उपर्युक्त के अतिरिक्त राजभाषा शाखा के कार्मिक/अधिकारी भी बैठक में सहायतार्थ उपस्थित थे।